


24/3
25

पत्रावली पेश हुई। वकील इ. उ. प्र.।
वकील विपरीत द्वारा जवाब नहीं देना
सोचने की बजाय करने का निर्देश
दिया। वकील इ. उ. प्र. तनी बजा
हुई गई। वकील इ. उ. प्र. इ. प्र.
बाद पर अदालत है कि दोनों
पक्षों में बाद के निर्धारण तक
कोई कानूनन रिपोर्ट की
प्रकारिता बनाए रखेंगे।
इ. प्र. इ. प्र. न्यायालय द्वारा निर्देश
26.11.2019 को जारी की गई
अदालती निर्णयों को पूरा बाद
के निर्धारण तक कोणार्थ किया
जाए है कि दोनों पक्षों में
राजस्व रिपोर्ट की प्रकारिता
बनाए रखेंगे। पत्रावली के बाद
अदालत के बाद के बाद है।


सहायक कलेक्टर
बड़ीसावड़ी

